# आरक्षण पर खड़गे और चिराग आमने-सामने

**▸ नौकरियों को लेकर सियासी घमासान**

**नई दिल्ली, 24 अगस्त. सरकारी नौकरियों और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच बयानबाजी तेज हो गई है.**

खड़गे ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि आरक्षण को सीधे खत्म करने के बजाय सरकारी पदों को खाली रखकर और स्थायी नौकरियों की जगह ठेका व्यवस्था बढ़ाकर इसे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. दूसरी ओर चिराग पासवान ने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि इसे किसी के कहने मात्र से समाप्त नहीं किया जा सकता. केंद्र सरकार में रिक्त पदों की संख्या 2015 के 4.21 लाख से बढ़कर 2024 में 8.24 लाख हो गई. रेलवे में 2.40 लाख, रक्षा क्षेत्र में 2.41 लाख और गृह मंत्रालय में 1.10 लाख पद खाली हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी नौकरियों में कमी और ठेका कर्मचारियों की हिस्सेदारी बढ़ने का भी दावा किया. उन्होंने कहा कि सरकारी पद खाली रहने से आरक्षण

के तहत मिलने वाले अवसर प्रभावित होते हैं. खड़गे ने पीएसयू में 5.1 लाख स्थायी नौकरियां खत्म होने और ठेका कर्मचारियों की हिस्सेदारी 19% से बढ़कर 49% होने का दावा करते हुए इसे सामाजिक

न्याय से जोड़ा. उनका आरोप है कि इस तरह एससी,एसटी, ओबीसी और ईडब्लूएस वर्गों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं.इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण कोई खैरात नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है. उन्होंने सामाजिक भेदभाव की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज में समानता की स्थिति अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुई है, इसलिए आरक्षण की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता.चिराग ने कहा कि जब तक वह सरकार का हिस्सा हैं, आरक्षण व्यवस्था को कमजोर या समाप्त करने की किसी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा. इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच सरकारी रिक्तियों, रोजगार के स्वरूप और आरक्षण के अवसरों को लेकर बहस फिर तेज हो गई है.

## होर्मुज पर ईरान लेगा टोल, प्रस्ताव को मंजूरी

**तेहरान, 24 अगस्त.** ईरान की संसद ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जिन देशों के जहाजों को इस समुद्री मार्ग से गुजरने की अनुमति मिलेगी, उनसे समुद्री सेवाओं के बदले फीस ली जाएगी. ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता हसन काशकवी के अनुसार, शुल्क के बदले जहाजों को सुरक्षा, इंश्योरेंस और अन्य समुद्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. भुगतान ईरानी रियाल या तेहरान की ओर से स्वीकार की जाने वाली किसी अन्य मुद्रा में किया जा सकेगा.

# द्रोणाचार्य अवॉर्डी मलखंभ कोच पर पॉक्सो केस

**▸ 16 साल की छात्रा के यौन शोषण का आरोप**

**नई दिल्ली, 24 अगस्त. द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोच गणेश प्रभाकर देवरुखकर के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस यानी पोक्सो में केस दर्ज किया गया है.**

45 साल के मलखंभ कोच के खिलाफ 16 साल की छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी. छात्रा मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ती है और कई साल से आरोपी कोच से जिमनास्टिक की ट्रेनिंग ले रही थी. मलखंभ फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मुंबई के मलखंभ फेडरेशन से घटना को लेकर जानकारी मांगी गई है. आरोपी कोच फिलहाल फरार है. मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है. छात्रा ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार, 21 अगस्त की सुबह वह घर पर पढ़ाई कर रही थी.

# महिलाओं को योगी सरकार का तोहफा

**▸ 60+महिलाओं को जिंदगीभर मुफ्त बस यात्रा**

**लखनऊ, 24 अगस्त. उत्तर प्रदेश में प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बुजुर्ग महिलाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी हो रही है. योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इसका ऐलान किया है. उन्होंने कहा प्रदेश में अब 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी बसों में आजीवन निशुल्क यात्रा कर सकेंगी. जल्द ही सीएम योगी इसका ऐलान कर सकेंगे.**

परिवहन मंत्री रविवार को बलिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने तिखमपुर के एक होटल में आयोजित रक्षा बंधन मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस

दौरान कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं ने उनकी कलाई पर राखी बांधी और उन्हें शुभकामनाएं दीं.

इस दौरान दयाशंकर सिंह ने 60 साल की महिलाओं को यूपी रोडवेज की सभी बसों में आजीवन निशुल्क यात्रा की सुविधा का ऐलान किया है. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि महिलाओं को आजीवन निशुल्क यात्रा का ये बहुत बड़ा तोहफा है. ये विधान सभा मे पास भी हो गया है, इसके लिए साल 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट भी हो गया हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे. आज सोमवार को कैबिनेट की बैठक होगी. जिसमें मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे वो ही आगे किया जाएगा. बुजुर्ग महिलाओं को आजीवन यूपी रोडवेज़ बसों में यात्रा के लिए सड़क परिवहन निगम को प्रतिकर भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है. मंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रदेश की योगी सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है.

## युवा खिलाड़ियों से संवाद करेंगे मोदी

**नई दिल्ली, 24 अगस्त.** नवभारत न्यूज राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अवसर पर देशभर में बड़े स्तर पर युवा सहभागिता कार्यक्रम 'खेलो इंडिया डायलॉग:खेल की बात, प्रधानमंत्री मोदी के साथ' का आयोजन 27 अगस्त को किया जाएगा. इस पहल के तहत देशभर के 1,500 से अधिक स्थानों पर युवा, खिलाड़ी और शैक्षणिक संस्थान एक साथ जुड़ेंगे. नरेंद्र मोदी युवा उभरते खिलाड़ियों को खेल, युवा नेतृत्व और विकसित भारत के विषय पर संबोधित करेंगे.

## वॉटर प्लांट में रिसी क्लोरीन, 40 भर्ती

**नागपुर, 24 अगस्त.** महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार को जहरीली गैस के रिसाव के चलते कम से कम 40 लोग अस्पताल पहुंच गए हैं.

खबर है कि एहतियात के तौर पर क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है और लोगों से कई सैकड़ों मीटर दूर रहने के लिए कहा गया है. कहा जा रहा है कि देर रात से ही सिलेंडर से रिसाव हो रहा था. एक वॉटर प्लांट से क्लोरीन गैस लीक होना शुरू हो गई थी. अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि गोधानी नगर पंचायत में फागो पाटिल ले आउट के पास वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में रिसाव हुआ था. उन्होंने जानकारी दी है कि 900 किलों के क्लोरीन गैस सिलेंडर से रात करीब 1 बजे से रिसाव शुरू हो गया था. प्लांट में काम करने वाले और आसपास रहने वाले लोगों ने सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की. कहा जा रहा है कि इसके चलते 8-10 प्लांट कर्मचारी और 20-25 अन्य लोगों की तबीयत बिगड़ी है.

# वंधामा नरसंहार की 28 साल बाद खुली फाइल

**एक रात में 23 कश्मीरी पंडितों की हुई थी हत्या**

**जांच एजेंसी सिआ ने शुरू की जांच**

**श्रीनगर, 24 अगस्त. जम्मू-कश्मीर में 28 साल पहले कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की फाइल दोबारा खुल गई है. जम्मू-कश्मीर की जांच एजेंसी, सिआ ने 1998 में हुए वंधामा नरसंहार की जांच फिर से शुरू कर दी है.**

आतंकवादियों ने 1998 में कश्मीर के गांदरबल जिले के वंधामा गांव में 23 कश्मीरी पंडितों की बेरहमी से हत्या कर दी थी. आतंकियों ने बच्चों और महिलाओं को भी चुन-चुन कर निशाना बनाया था.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने घाटी में कश्मीरी पंडितों के लक्षित हत्याओं के मामलों में अपनी जांच फिर से तेज कर दी है. इसी कड़ी में एजेंसी ने वंधामा नरसंहार की जांच दोबारा शुरू की है. इसके साथ ही कश्मीरी पंडित नेता टिक्का लाल टपलू और रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की हत्या के मामलों की भी नए सिरे से जांच होगी. इससे पहले एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट, लेखक सरवानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र कौल की हत्या के मामलों को भी दोबारा खोला था. 25 जनवरी 1998 को गांदरबल जिले के वंधामा गांव में भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने कश्मीरी पंडित परिवारों के घरों में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की थी.

> इस घटना में 9 महिलाओं और 4 बच्चों सहित कुल 23 कश्मीरी पंडितों की जान चली गई थी. आतंकियों ने घटना को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या और रमजान के पवित्र महीने में शब-ए-कद्र की रात को अंजाम दिया था. पीड़ितों की हत्या करने के बाद आतंकवादियों ने उनके घरों और एक स्थानीय मंदिर में आग भी लगा दी थी. ये सभी पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी थे. हालांकि तब मामले की पूरी जांच नहीं हो पाई. अब दशकों तक अनसुलझे रहे इस केस को अब सिआ के विशेष अभियान के तहत फिर से खंगाला जा रहा है.

## आज का इतिहास

1351: सुल्तान फिरोजशाह तुग़लक़ तृतीय की ताजपोशी

1916: टोटनबर्ग के युद्ध में रूस ने जर्मनी को पराजित किया।

1940: लिथुआनिया, लातविया और एस्तोनिया सोवियत संघ में शामिल हुए.

1952: भारतीय राज्य तमिलनाडु में सबसे पसंदीदा अभिनेता और राजनेताओं में से एक विजयकान्त का जन्म.

1957: भारतीय पोलो टीम ने विश्व कप जीता.

1963: सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन के सोलह विरोधियों को फाँसी पर चढ़ा दिया.

## पूर्व एसआरए बेहरा के 6 ठिकानों पर विजिलेंस के छापे

**भुवनेश्वर, 24 अगस्त.** तिरतोल ब्लॉक में 3.02 करोड़ रुपये के सरकारी धन के गबन मामले में गिरफ्तार पूर्व एसआरए भंज किशोर बेहरा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. ओडिशा विजिलेंस ने पूछताछ में मिले नए तथ्यों के आधार पर सोमवार को उसके छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की.

**सार्वजनिक सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं रोशन जाट (आर्मी नंबर 1535059 F, रैंक नायक, रिटायर्ड यूनिट : सिग्नल्स, जबलपुर निवासी-104, ग्राम कोगावा, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि पिता के संबंध में : मेरे आर्मी रिकार्ड/ दस्तावेजों में मेरे पिता रघुनाथ की जन्मतिथि 1.7.1945 (तथा संशोधन/आधार अनुसार 1.1.1940) दर्ज है, जबकी उनके आधारकार्ड में भिन्न जन्मतिथि दर्ज है। माता के संबंध में : मेरी माता मांगी बाई की जन्मतिथि मेरे आर्मी रिकार्ड में 1.7.1950 दर्ज है, जबकी उनके आधारकार्ड में 1.1.1945 दर्ज है। उक्त भिन्नता के कारण किसी भी प्रकार के वाद — विवाद या कानूनी स्थिति की समस्त जिम्मेदारी मेरी अर्थात शपतकर्ता की, स्वयं की होगी।

**कार्यालय नगरपालिका परिषद, नीमच जिला नीमच म.प्र.**

क्र. 285/ई-टेण्ड/01/ लो.नि.वि / 2026 / — **ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रण सूचना** — नीमच, दिनांक 24/08/2026

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट website http://mptenders.gov.in पर देखा सकते हैं।

| क्र./ टेण्डर क्रमांक | कार्य का नाम | कार्य की समयावधि | निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD | निविदा प्रपत्र की अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 2026_UAD _531767 | वार्ड क्र. 11 स्कीम नं. 36ए गरबा चौक पेवर ब्लॉक कार्य | 6 Months 703292+GST | Rs.2000 Rs.7100 | 08-09-2026 |
| 2026_UAD 531768 | वार्ड क. 12 जवाहर नगर सीसी रोड निर्माण कार्य | 6 Months 3079564+GST | Rs.5000 Rs.23100 | 26-09-2026 |
| 2026_UAD_ 531769 | वार्ड क्र. 31 विकास मार्ग से टेलिफोन एक्सचेंज तक डामरीकरण कार्य | 6 Months 2803831+GST | Rs. 5000 Rs. 2110 | 26-09-2026 |
| 2026_UAD_ 531770 | वार्ड क्र. 05 में गुप्ता पुलिया से मेहनोत नगर तक डामरीकरण कार्य | 6 Months 1385766+GST | Rs. 2000 Rs. 10400 | 26-09-2026 |
| 2026_UAD_ 531771 | वार्ड क्र. 29 जैन मंदिर से लेकर शशिकांत गोयल तक सीसी रोड कार्य | 6 Months 1562887+GST | Rs. 2000 Rs. 11750 | 26-09-2026 |
| 2026_UAD_ 531772 | धनिराम काम्पलेक्स में शौचालय निर्माण कार्य | 6 Months 1184604+GST | Rs. 2000 Rs. 8900 | 26-09-2026 |
| 2026_UAD_ 531773 | वार्ड क्र.01 रावण रूण्डी की गलियों में डामरीकरण कार्य | 6 Months 3347308+GST | Rs. 5000 Rs. 25110 | 26-09-2026 |
| 2026_UAD_ 531775 | वार्ड क्र.14 श्मशान से एसटीपी प्लाट तक पेवर ब्लॉक कार्य | 6 Months 2105962+GST | Rs. 5000 Rs. 15800 | 26-09-2026 |
| 2026_UAD_ 531776 | वार्ड क्र.26 महेश सर्कल से अम्बेडकर सर्कल तक आरसीसी बीम कार्य | 6 Months 386693+GST | Rs. 2000 Rs. 4000 | 08-09-2026 |
| 2026_UAD_ 531777 | वार्ड क्र.26 टीवीएस शोरूम से शनि मंदिर तक आरसीसी बीम कार्य | 6 Months 391639+GST | Rs. 2000 Rs. 4000 | 08-09-2026 |
| 2026_UAD_ 531778 | वार्ड क.30 अम्ब के मकान से सोमानी के मकान तक सीसी रोड़ व नाली निर्माण | 6 Months 2328628+GST | Rs. 5000 Rs. 17500 | 26-09-2026 |
| 2026_UAD_ 523196 | वार्ड क्र. 19 व 21 कास नाला निर्माण कार्य | 6 Months 208163+GST | Rs. 2000 Rs. 2500 | 31-08-2026 |
| 2026_UAD_ 531810 | वार्ड क. 29 में भू.क. 343, 316 से 191 तक सीसी रोड़ व नाली निर्माण कार्य | 6 Months 3263455+GST | Rs. 5000 Rs. 24500 | 26-09-2026 |
| 2026_UAD_ 531809 | वार्ड क्र.25 वीर पार्क से पंकज स्टील हनुमान चाट की गली सीसी रोड़ कार्य | 6 Months 1300131+GST | Rs. 2000 Rs. 9800 | 26-09-2026 |

नोटः निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन http://mptenders.gov.in की वेबसाइट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

श्रीमती स्वाति गौरव चौपड़ा, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, नीमच — श्री मनोहर मोटवानी, सभापति, लो.नि.वि., नगरपालिका परिषद नीमच — मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, नीमच

**TATA**

**टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस, तीसरी मंजिल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, रिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010

**अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना**

**(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत)**

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 15 दिवसीय ई-नीलामी सूचना**

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/ प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोलिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए **'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी हैं'** आधार पर दिनांक **10-09-2026** को बिक्री की जायेंगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **10-09-2026** को दोपहर **2:00** बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **09-09-2026** को समय सायं **5.00** बजे तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, तीसरी मंजिल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, रिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010 पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

| क्रं | ऋण खाता क्रं. | ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/ कानूनी वारिस(सों)/ जमानतदा(रों) के नाम | मांग सूचना दिनांक | आरक्षित मूल्य | बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCHHL0284000100004988 & TCHIN0363000100090342 & TCHIN0363000100152441 & TCHIN0363000100253160 | श्री बलराम शर्मा श्रीमती कविता शर्मा | रु. 18,65,207/- 14-10-2024 | रु. 27,50,000/- अग्रिम जमा राशि (ईएमडी):- रु. 2,75,000/- कब्जे का प्रकार : भौतिक | रु. 25,37,880/- 20-08-2026 |
| 2 | TCHHL0284000100179999 & TCHHF0284000100180494 & TCHIN0284000100182269 & TCHIN0284000100242408 | श्री बलवंत वर्मा श्रीमती घामा बाई | रु. 17,23,647/- 10-10-2025 | रु. 15,40,000/- अग्रिम जमा राशि (ईएमडी): रु. 1,54,000/- कब्जे का प्रकार : भौतिक | रु. 19,99,908/- 20-08-2026 |

**अचल संपत्ति का विवरण** (1) : अचल संपत्ति का संपूर्ण भाग एवं अंश, प्लॉट नंबर 338, कैप्स टाउन के दक्षिणी भाग मकान; यह भूमि सर्वे नंबर 440, 441, 442, 443, 444, 445, 387/4, 388/2, 392, 393, 394, 397/2, 412 एवं 413 पर स्थित, जो ग्राम पिगडंबर, तहसील महू, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) चर्तुसीमाएँ:- पूर्व: प्लॉट नंबर 346, पश्चिम: सड़क, उत्तर: प्लॉट 338 का शेष भाग, दक्षिण: प्लॉट नंबर 339; कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट

**अचल संपत्ति का विवरण** (2): अचल संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश, उत्तर से दक्षिण की ओर प्लॉट नं. 136-ए/1, रॉयल टाउन, ग्राम महूगाँव, तहसील महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल 450 वर्ग फीट (यानी 41.82 वर्ग मीटर)। **चर्तुसीमाएँ:** पूर्वः इस प्लॉट का शेष भाग, पश्चिम: सड़क, उत्तर: प्लॉट नंबर 137-ए, दक्षिण: इस प्लॉट का शेष भाग

**नोट :- बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि बोली जमा करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें। नीलामी किसी भी मुकदमे या विवाद के नतीजे पर निर्भर होगी।**

नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रुप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।

बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:

**कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल https://BidDeal के माध्यम से दिनांक 10-09-2026 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।**

**नियम और शर्ते :** 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि: **रु.10,000/- (दस हजार मात्र)** 4. संपति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्टरूप से अपर्याप्त है। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक **03-09-2026** को **सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे** तक किया जा सकेगा। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। 10. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारें संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। **12. अन्य किसी विवरण के लिए अथवा ई-नीलामी पर प्रक्रिया ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता, वैल्यू ट्रस्ट कैपिटल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, 585 हेस्टिंग कॉलोनी, VIP नगर, आनंदपुर, कोलकाता 700 100, अपने को-ऑर्डिनेटर्स Auction.Manager@BidDeal.in के माध्यम से अथवा मनीष बंसल, ईमेल आईडी manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी, मोबाईल नंबर 8588983696 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर भेजें ।** 13. उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी । 14. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट https://surl.li/wqkmcy का संदर्भ लें । 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : https://www.tatacapital.com/property-disposal.html

**कृपया ध्यान दें:** टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

**स्थान : इन्दौर**
**दिनांक : 25-08-2026**

ह/-
**(प्राधिकृत अधिकारी)**
**टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि.**

**AGRIM Housing Finance Pvt Ltd.**

ऑफिस नंबर 3212, A विंग, 32वीं मंज़िल, मैराथन फ्यूचरक्स, NM जोशी मार्ग, लोअर परेल ईस्ट, मुंबई 400013

AGRIM HOUSING FINANCE AB GHAR LENA ASAAN

**मांग सूचना**

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस। आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एग्रीम हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (एएचएफसी), जिसका पंजीकृत कार्यालय 3212, 32वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरक्स, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 में स्थित है (जिसे आगे "एएचएफसी" कहा जाएगा), ने आपके ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया है। आप एएचएफसी के प्रति अपने ऋण खाते की समस्त बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। उक्त बकाया राशि पर ऋण अनुबंध में निर्धारित दर के अनुसार भविष्य में देय ब्याज तथा अन्य सभी व्यय, लागत, शुल्क, प्रभार आदि भी आपके द्वारा भुगतान किए जाने होंगे। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर एग्रीम हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रति अपनी समस्त देनदारियों का पूर्ण भुगतान करें। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एएचएफसी को अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा। उधारकर्ताओं तथा सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

| ऋण संख्या/ उधारकर्ता का नाम | नोटिस की राशि (रुपये) |
|---|---|
| AHFC000420232402079 और AHFC000420222300784 (TU2401000148 और HL2304023707) शाखा इंदौर के 1. श्री अंकित मालवीय (उधारकर्ता) 2. श्रीमती दीपा मालवीय (सह-उधारकर्ता 1) 3. कुलदीप (सह-उधारकर्ता 2) | रु. 4,90,997/- और रु. 29,30,700/- 03.06.2026 तक<br>आवेदक का पता : पता 1 : 5 पटेल नगर गली नंबर 3 ग्राम रेवती, मंदिर के पास, भारत, मध्य प्रदेश, इंदौर, सांवेर, 453551 |
| संपत्ति का विवरण/ सुरक्षित संपत्तिः बंधक रखी गई संपत्ति का विवरण - प्लॉट/ मकान नंबर 05 पटेल नगर गली नंबर 03 ग्राम रेवती तहसील सांवेर जिला इंदौर (म.प्र.) प्लॉट क्षेत्र 1050 वर्ग फुट (97.58 वर्ग मीटर)। स्वामी - अंकित मालवीय आत्मज श्री कमल मालवीय। सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः कॉलोनी की सड़क, पश्चिमः कॉलोनी की सड़क, उत्तरः सरदार का मकान, दक्षिणः डॉक्टर का प्लॉट | |
| AHFC000420232400849 और HL2304023757 शाखा इंदौर के 1. श्री जितेन्द्र कुमार सूर्यवंशी (उधारकर्ता) 2. बलवान सिंह (सह-उधारकर्ता) 3. लक्ष्मी (सह-उधारकर्ता) | रु. 16,45,049/- 24.06.2026 तक<br>आवेदक का पता : ई 27, लवकुश आवास विहार, सुखलिया, इंदौर, बंधन गार्डन, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452010 |
| संपत्ति का विवरणः बंधक रखी गई संपत्ति का विवरण - भूमि और/या फ्लैट के वे सभी टुकड़े और हिस्से जिनका माप प्लॉट नंबर 08 साईनाथ पैलेस, ग्राम सुखलिया, तहसील और जिला इंदौर (म.प्र.) है। प्लॉट क्षेत्र 800 वर्ग फुट। संपत्ति के मालिक का नामः जितेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, बलवान सिंह और लक्ष्मी। सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः सड़क, पश्चिमः अन्य खुला प्लॉट, उत्तरः अन्य खुला प्लॉट, दक्षिणः सड़क | |
| AHFC000420222300006 और HI2111017470 शाखा इंदौर के 1. कृष्णा (उधारकर्ता) 2. सतीश स्वामी (सह-उधारकर्ता -1) 3. किरण स्वामी (सह-उधारकर्ता -2) | रु. 9,14,703/- 22.07.2026 तक<br>आवेदक का पता : 1:94/10, एयरफील्ड्स एमसीटीई, महू, इंदौर, मध्य प्रदेश - 453441 |
| संपत्ति का विवरणः बंधक रखी गई संपत्ति का विवरण - अचल आवासीय प्लॉट का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा जो प्लॉट नंबर 52-ा पर स्थित है, जो प्लॉट नंबर 51, 52, और 57 के पूर्वी हिस्से में स्थित है, जो "मदान विहार कॉलोनी" के नाम से जानी जाने वाली आवासीय कॉलोनी में है, सर्वे नंबर 649/1, ग्राम महूगांव, तहसील महू (डॉ. अम्बेडकर नगर), जिला इंदौर, म.प्र.- 453441। (कुल क्षेत्र 400 वर्ग फुट और 37.18 वर्ग मीटर) संपत्ति के मालिकों के नाम (संयुक्त मालिक): श्रीमती किरण स्वामी, श्री कृष्णा स्वामी, श्री सतीश स्वामी। सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः कॉलोनी की सड़क, पश्चिमः प्लॉट नं. 52-c, उत्तरः प्लॉट नं. 52-e, दक्षिणः प्लॉट नं. 53-e | |
| AHFC000420232401734 और AHFC00042024232402356 (HL2312026966 और TU2403000211) शाखा इंदौर के। 1. श्री मनीष बरेले (ऋणकर्ता) 2. श्रीमती अनीता बरेले (सह-उधारकर्ता - 1) 3. नम्रता (सह-उधारकर्ता - 2) | रु. 8,05,596/- और रु. 6,63,104/- 03.06.2026 तक<br>आवेदक का पताः पता - मकान नंबर 31 चामुंडा पुरी देवास मध्य प्रदेश भारत |
| संपत्ति की अनुसूचीः गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण - पटवारी हल्का नंबर 18, सर्वे नंबर 315 पैकी में स्थित भूखंड, चामुंडापुरी एक्सटेंशन के पास, देवास सीनियर (म.प्र.) भूमि का माप क्षेत्र 10*35 कुल क्षेत्रफल 350 वर्ग फुट (32.52 वर्ग मीटर)। मालिक - श्रीमती अनीता पत्नी श्री नर्मदाप्रसाद बरेले सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः भूमि सर्वे नंबर 315 पैकी, पश्चिमः सड़क, उत्तरः उसी भूखंड का शेष भाग, दक्षिणः विशाल केथवास की भूमि | |
| AHFC000420222300039 और HI2203019926 शाखा इंदौर के। 1. मनीष चौहान (उधारकर्ता) 2. शकुंतला (सह-उधारकर्ता -1) 3. सुनैना गोलिया (सह-उधारकर्ता -2) 4. शैलेंद्र चौहान (सह-उधारकर्ता -3) | रु. 5,26,969/- 22.07.2026 तक<br>आवेदक का पताः म.नं. 393-B, जय नगर कॉलोनी, पीथमपुर टाउन, वार्ड नं.14 (नया वार्ड नं.17), तह.एवं जिला धार, म.प्र.- 454775 |
| संपत्ति की अनुसूचीः गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण - आवासीय मकान/संपत्ति का वह पूरा हिस्सा और टुकड़ा जिसका म.नं.393-b है, जो जय नगर कॉलोनी, पीथमपुर टाउन, वार्ड नं.14 (नया वार्ड नं.17), तहसील और जिला धार, म.प्र.- 454775 में स्थित है, (संपत्ति का कुल क्षेत्रफल 750 वर्ग फुट या 69.67 वर्ग मीटर है) संपत्ति के मालिक का नामः श्रीमती शकुंतला और श्री मनीष सिंह सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः कॉलोनी की जल निकासी लाइन, इसके बाद सुरेश यादव की संपत्ति, पश्चिमः कॉलोनी की सड़क, उत्तरः संपत्ति/नं.394, दक्षिणः संपत्ति/म.नं.393-a | |
| AHFC000420252603993 और HI2506034561 शाखा इंदौर 1 के। श्री पवन कुमार (उधारकर्ता) 2. श्रीमती प्रमिला (सह-उधारकर्ता) 3. श्री अनिल कुमार मालवीय (सह-उधारकर्ता) | रु. 11,47,867/- 24.06.2026 तक<br>आवेदक का पताः 364, म.प्र.ह. बोर्ड (Mphb) कॉलोनी, बागदून सागर, पीथमपुर, जिला धार म.प्र. 454775 |
| संपत्ति की अनुसूचीः गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण - भूमि खंड/प्लॉट नंबर 140 जो सर्वे नंबर 101/1, पटवारी हल्का नंबर 37 (नया नंबर 80) ग्राम कालिबिल्लोद तहसील देपालपुर और जिला इंदौर (म.प्र.) में स्थित है। प्लॉट क्षेत्र 600 वर्ग फुट संपत्ति के मालिक का नामः पवन कुमार और अनिल कुमार मालवीय सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः प्लॉट नंबर 121, पश्चिमः सड़क, उत्तरः प्लॉट नंबर 141, दक्षिणः प्लॉट नंबर 139 | |
| AHFC000420222300189 और LAP2210000235 शाखा इंदौर के। 1. श्री पवन पटेल (उधारकर्ता) 2. श्रीमती रानी बाई खाती (सह-उधारकर्ता) | रु. 6,72,455/- 24.06.2026 तक<br>आवेदक का पताः मकान नंबर 73, वार्ड नंबर 06, जामोनिया, देवास, मध्य प्रदेश, 455116 |
| संपत्ति की अनुसूचीः गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण - भूमि और/या फ्लैट के वे सभी टुकड़े और हिस्से जिनका माप 1500 वर्ग फुट है, जो सर्वे नंबर 1449 पर है, जिसमें 1400 वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र है। इसके साथ ही ग्राम जमुनिया पटवारी हल्का नंबर 47 मकान नंबर 73, वार्ड नंबर 06 तहसील टोंकखुर्द एवं जिला देवास मध्य प्रदेश में स्थित सभी वर्तमान और भविष्य के निर्माण। संपत्ति के मालिक का नामः श्रीमती रानी बाई खाती सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः श्री जितेंद्र का मकान, पश्चिमः श्री अजय का प्लॉट, उत्तरः कृषि भूमि, दक्षिणः आम सड़क | |
| AHFC000420232401220, AHFC000420252604219 और HL2307024543, TU2509000775 शाखा इंदौर 1 के। 1. सपना संजय (उधारकर्ता) 2. लीला मेड़ा (सह-उधारकर्ता) | रु. 27,71,460/- 22.07.2026 तक<br>आवेदक का पताः 400, भील कॉलोनी, मूसाखेड़ी, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452001 |
| संपत्ति की अनुसूचीः गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण - आवासीय संपत्ति का वह पूरा हिस्सा और टुकड़ा जिसका प्लॉट नंबर 504 है, जो भील कॉलोनी (हरिओम पन्ना नगर), मूसाखेड़ी, इंदौर, वार्ड नंबर 54 (रेसिडेंसी), नगर निगम सीमा के भीतर, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452001 में स्थित है (संपत्ति का कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट (139.40 वर्ग मीटर) है) संपत्ति के मालिक का नामः श्रीमती सपना मेड़ा सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः स्नेहलता बाने सिंह की संपत्ति, पश्चिमः दूसरों की भूमि, उत्तरः रोड, दक्षिणः लीलाधर चौहान का मकान | |
| AHFC000420232402145 और HI2401027724 शाखा इंदौर के। 1. सुशीला गोस्वामी (उधारकर्ता) 2. श्री रमेश गिरी गोस्वामी (सह-उधारकर्ता) | रु. 6,22,130/- 22.07.2026 तक<br>आवेदक का पताः एम.एन. 144 / एम.एन. 87/2, ग्राम सेदुदेवास, टोंक खुर्द, लासुड़ियाकुल्मी, जिला देवास, मध्य प्रदेश - 455116 |
| संपत्ति की अनुसूचीः गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण - अचल आवासीय संपत्ति का वह पूरा हिस्सा और टुकड़ा जिसका मकान नंबर 87/2 है, जो सर्वे नंबर 1267, पटवारी हल्का नंबर 46, ग्राम सेदु, तहसील टोंक खुर्द, जिला देवास, मध्य प्रदेश - 455001 पर स्थित है। कुल क्षेत्रफल 1170 वर्ग फुट (108.73 वर्ग मीटर)। संपत्ति के मालिक का नामः श्री रमेश गिरी गोस्वामी और श्रीमती सुशीला बाई गोस्वामी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः स्वयं की भूमि, पश्चिमः आम सड़क, उत्तरः श्री शंकर का मकान, दक्षिणः श्री नब्बू का मकान | |
| AHFC000420232401905 और HL2401027286 और AHFC000420232402307 और TU2403000195, शाखा इंदौर के। 1. श्री विजय लोधी (उधारकर्ता) 2. श्रीमती पूजा लोधी (सह-उधारकर्ता) | रू. 11,21,338/- और रू. 8,77,330/- 24.06.2026 तक।<br>आवेदक का पताः एम. नंबर 96, नेवरी, भारत, मध्य प्रदेश, नेओरी, 455223 |
| बंधक रखी गई संपत्ति का विवरण- भूमि और/या फ्लैट के वे सभी टुकड़े और हिस्से जो मकान नंबर 160 के बारे में हैं, जो वार्ड नंबर 2, पटवारी हल्का नंबर 06, ग्राम नेवरी, तहसील हाटपिपल्या जिला देवास (म.प्र.) में स्थित हैं। भूमि का कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट है। संपत्ति के स्वामीः विजय लोधी और पूजा लोधी। सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः हकीम खान का प्लॉट, पश्चिमः घनश्याम लोधी का मकान, उत्तरः गुड्डू भाई का मकान, दक्षिणः आम रास्ता। | |
| AHFC000420252603793 और TU2507000707 और AHFC000420252603793 और HL2503033494, शाखा इंदौर के। 1. विजय वर्मा (उधारकर्ता) 2. भावना वर्मा (सह-उधारकर्ता) | रू. 21,11,429/- और रू. 3,77,440/- 24.06.2026 तक।<br>आवेदक का पताः S1, महाराणा प्रताप नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत, 456001 |
| संपत्ति की अनुसूचीः बंधक रखी गई संपत्ति का विवरण- प्लॉट नंबर S-1 (S-1) का उत्तरी भाग, महाराणा प्रताप नगर कॉलोनी कनीपुरा रोड तहसील और जिला उज्जैन, (म.प्र.) 456006। संपत्ति के स्वामीः विजय वर्मा। सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः कॉलोनी रोड, पश्चिमः अन्य खुला प्लॉट (प्लॉट नंबर S-34), उत्तरः अन्य कॉलोनी तिरुपति एक्सटेंशन का मकान, दक्षिणः सुरेंद्र बाना का मकान (भाग का शेष हिस्सा)। | |
| LAP2403002902 शाखा इंदौर का। 1. श्री निरंजन सम्राट (ऋणकर्ता) 2. श्रीमती शिवानी (सह-ऋणकर्ता) | रू. 12,35,606/- 03.06.2026 तक।<br>आवेदक का पताः 1-मुख्तयारा मुख्तयारा खरगोन मध्य प्रदेश मंदिर के पास वेस्ट निमार मुख्तयारा (म.प्र.) भारत |
| संपत्ति की अनुसूचीः बंधक रखी गई संपत्ति का विवरण- प्लॉट/मकान जो पी.एच. नंबर 23 ग्राम मुख्तयारा तहसील बड़वाह और जिला खरगोन (म.प्र.) में स्थित है। प्लॉट का क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट है। सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः गली 8, पश्चिमः कॉमन रोड 16 फीट, उत्तरः कॉमन रोड 20 फीट, दक्षिणः सुनील दांगी का मकान | |

**दिनांकः 25.08.2026**
**स्थानः इंदौर**
**हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी**
**एग्रीम हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड**